

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 424 / 14
 संस्थापन दिनांक:-15 / 07 / 14
 फाईलिंग नं. 233504004342014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

सहादेव पिता गिरधारी
 उम्र 35 वर्ष, निवासी लाखापुर,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 21.10.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 31.05.2014 को समय 07:30 बजे या उसके लगभग प्रार्थिया के घर के सामने लाखापुर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी मुनिता और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं आहत प्रवीण को पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 31.05.2014 को सुबह 7.30 बजे उसके घर के सामने बैठी थी और उसकी लड़का प्रवीण आंगनबाड़ी में आम के झाड़ के पास खेल रहा था तभी अभियुक्त आया और उसके लड़के को कहा कि यहां क्यों खेल रहे हो और आम खाने आता है कहकर एकदम से पत्थर से मारा जिससे उसके लड़के के सिर पर चोट। अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क. 381/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी मुनिता और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत प्रवीण को पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

5 मुनिता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा गाली गालौच या अश्लील शब्द उच्चारित करने के संबंध में एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। इस संबंध में साक्षी रामनाथ (अ.सा.-2) एवं अमरलाल (अ.सा.-5) ने भी उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अपराध के संबंध में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त पर लगे धारा 294, 506 भाग-दो भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

6 मुनिता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना सुबह 9 बजे की है तथा वह घटना के समय अपने मायके ग्राम लाखापुर शादी में आयी थी। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि अभियुक्त सहादेव ने उसके लड़के प्रवीण को आम खाने की बात पर से सिर पर पत्थर से मार दिया था जिससे उसके लड़के प्रवीण का सिर फूट गया था और खून निकला था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अभियुक्त सहादेव से यह कहा था कि

तुमने सिर फोड़ा है, ईलाज करवा दो तो अभियुक्त ने कहा कि मैं नहीं करवाता तुमसे जो बने कर लो। साक्षी ने थाना आमला में रिपोर्ट की जाना तथा अपने समक्ष नक्शा मौका तैयार किया जाना प्रकट किया है।

7 रामनाथ उइके (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि जब वह प्रवीण की मौसी के घर गया तो उसने प्रवीण के सिर में चोट लगी देखी थी। अमरलाल (अ.सा.-5) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे इस बात की जानकारी मिली थी कि प्रवीण को किसी ने पत्थर से मारा है।

8 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने दिनांक 31.05.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत प्रवीण का परीक्षण किये जाने पर उसके सिर के मध्य में 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव होना प्रकट करते हुए चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-4) पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी मुनिता (अ.सा.-1), रामनाथ उइके (अ.सा.-2) तथा अमरलाल (अ.सा.-5) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत प्रवीण के सिर पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

9 सत्यनारायण पांडे (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 31.05.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 381/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 03.06.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-5) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताया है। उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी विवेचना कार्यवाही प्रमाणित होती है।

10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में साक्षी रामनाथ उइके अनुश्रुत साक्षी है तथा स्वतंत्र साक्षी अमरलाल ने घटना का समर्थन नहीं किया है तब ऐसी स्थिति में आहत प्रवीण का मां मुनिता बाई के कथनों पर विश्वास करके संपूर्ण अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

11 मुनिता (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अपने बेटे प्रवीण का अभियुक्त के खेत पर आम खाने के लिए जाना बताया है तथा इसी बात पर से अभियुक्त सहादेव के द्वारा अपने लड़के प्रवीण को पत्थर से मारा जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आम खाने के लिए मौके पर कितने बच्चे गये थे। साक्षी ने स्वतः में यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त के द्वारा पत्थर मारकर पत्थर मारकर भागते हुए देखा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 में उक्त

साक्षी ने यह सही होना बताया है कि जहां पर वह खड़ी थी उसके सामने स्कूल होने की वजह से आम का पेड़ दिखायी नहीं दे रहा था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसके बच्चे प्रवीण को दो बच्चे उठाकर लेकर आये थे और उन लोगों ने भी यह बताया था कि अभियुक्त सहादेव प्रवीण को पत्थर मारकर भाग गया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि बच्चे आम के पेड़ पर पत्थर मार रहे थे वही पत्थर प्रवीण को लग गया था। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अभियुक्त सहादेव से कहा था कि ईलाज करवा दो तो उसने मना कर दिया था।

12 रामनाथ उइके (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय वह घर पर था। उसे यह पता चला कि अभियुक्त सहादेव ने प्रवीण को पत्थर मार दिया है, तब वह प्रवीण की मौसी के घर गया जहां प्रवीण बेहोश हो गया था और उसे सिर में चोट लगी थी। अमरलाल (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह घटना के समय गांव में नहीं था और जब वह शाम को अपने घर आया तो उसे यह पता चला कि प्रवीण को किसी ने पत्थर मार दिया है।

13 रामनाथ उइके (अ.सा.-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में यह सही होना बताया है कि उसने घटना अपनी आंख से नहीं देखी थी तथा इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि जिन बच्चों ने अभियुक्त का नाम बताया था उसे उन बच्चों के नाम भी नहीं मालूम। अमरलाल (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय गांव में नहीं था। उसे शाम को यह पता चला था कि आहत प्रवीण को किसी ने पत्थर से मारा था।

14 रामनाथ उइके (अ.सा.-2) एवं अमरलाल (अ.सा.-5) दोनों ही साक्षियों ने अपने समक्ष घटना घटित होते नहीं देखी है परंतु उक्त दोनों ही साक्षियों ने आहत के सिर पर घटना के तत्काल पश्चात चोट देखा जाना बताया है। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षियों के कथनों से अभियोजन को इतना समर्थन तो मिलता ही है कि घटना के तत्काल पश्चात आहत प्रवीण के सिर पर चोट थी।

15 बचाव अधिवक्ता ने बचाव साक्षी के रूप में अभियुक्त की पत्नी बिरमा (ब.सा.-1) को परिक्षीत कराया है। बिरमा (ब.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसके पति सुबह 7 बजे ही काम पर चले गये थे। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसका मकान खेत पर आम के पेड़ से थोड़ी दूर पर है तथा सुबह 9-9.30 बजे तीन बच्चे उसके खेत के आम के पेड़ के पास आये थे तथा तीनों लड़के आम झाड़ रहे थे और वही पत्थर आहत प्रवीण के सिर पर लगा। इसी साक्षी ने यह भी बताया कि उसने मौके पर उपस्थित अन्य दो बच्चों से यह पूछा था कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि पेड़ से टकराकर पत्थर प्रवीण के सिर पर लग गया है। साथ ही उक्त साक्षी ने

रामनाथ उड़के एवं अपने पति के बीच पूर्व से जमीनी विवाद होना बताया है और इसलिए मुनिताबाई के द्वारा उसके पति सहादेव की झूठी रिपोर्ट रामनाथ के कहने पर करवा दिया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसका मकान खेत से 10 मिनट की दूरी पर है तथा पैरा क. 06 में यह बताया है कि खेत पर उसका कोई मकान नहीं है तथा इसी पैरा में अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि आपके पति मजदूरी करने कितने बजे निकल जाते हैं तो साक्षी ने यह उत्तर दिया कि घटना दिनांक को सुबह 7 बजे उसके पति मजदूरी के लिए निकल गये थे।

16 बचाव अधिवक्ता के द्वारा बचाव साक्षी बिरमा (ब.सा.-1) को न्यायालय में परिक्षीत कराया गया है। बिरमा (ब.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके खेत के आम के पेड़ के पास तीन बच्चे आये थे जो कि पत्थर से आम झड़ा रहे थे और वही पत्थर एक लड़के के सिर पर लग गया था। जबकि प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि खेत में उसका कोई मकान नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि साक्षी ने स्वयं पेड़ से पत्थर किसी बच्चे के सिर में लग जाना देखा हो। साथ ही उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसके पति/अभियुक्त सुबह 7 बजे ही शिवप्रसाद एवं अशोक के यहां काशीराम के यहां काम करने चले गये थे परंतु बचाव पक्ष के द्वारा शिवप्रसाद, अशोक या काशीराम में से किसी को भी परिक्षीत नहीं कराया गया है, तब ऐसी स्थिति में मात्र बिरमा (ब.सा.-1) के द्वारा यह कहने से कि उसके पति सुबह 7 बजे मजदूरी पर चलगे गये थे, इस तथ्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अन्य दो बच्चे संजय और अंकित से यह पूछा था तो उन्होंने बताया था कि पत्थर पेड़ से टकराकर प्रवीण को लग गया है। बचाव पक्ष के द्वारा इन्हें भी परिक्षीत नहीं कराया गया है। यद्यपि यह भी सही है कि अभियोजन के द्वारा आहत प्रवीण को न्यायालय में परिक्षीत नहीं कराया गया है। विवेचना अधिकारी के द्वारा आहत प्रवीण के न ही पुलिस कथन प्रकरण में संलग्न किये गये हैं और न ही उसका नाम साक्ष्य सूची में लेख किया गया है परंतु विवेचना अधिकारी की या अनुसंधान की कमी का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता।

17 प्रकरण में इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है कि आहत प्रवीण के सिर पर पत्थर से चोट आयी थी। स्वयं बचाव साक्षी बिरमा (ब.सा.-1) ने भी अपने न्यायालयीन कथन में प्रवीण के सिर पर पत्थर से चोट आने के कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में मात्र आहत साक्षी को परिक्षीत न कराये जाने से अभियोजन के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **साधु सारनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य 2016 सी.आर.आई.एल.जे. 1908 (एस.सी.)** अवलोकनीय है। साथ ही स्वयं बिरमा (ब.सा.-1) के कथनों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त के खेत पर तीन बच्चे आम के पेड़ के नीचे आये थे और यह अस्वाभाविक प्रतीत हो रहा है कि पत्थर केवल उसी

बच्चे को लगा जिसके परिवार से अभियुक्त की रंजिश है। अतः ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष को बचाव साक्षी बिरमा (ब.सा.-1) के कथनों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18 बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश है इसलिए अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में मुनिता (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उसके मामा रामनाथ तथा अभियुक्त सहादेव के खेत की मेड़ लगी हुई हैं परंतु इस बात की जानकारी न होना बताया है कि उसके मामा रामनाथ और अभियुक्त के मध्य रंजिश है। रामनाथ उइके (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में यह सही बताया है कि उसकी अभियुक्त सहादेव से विगत दो-तीन वर्षों से बोलचाल नहीं है। न्यायालय के मत में दो पक्षों के बीच में रंजिश जहां विवाद का कारण बन सकती है वहीं झूठा फंसाया जाने का आधार भी हो सकती है परंतु प्रकरण में आहत प्रवीण के सिर पर चोट आने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है तब ऐसी स्थिति में रंजिश से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

19 अभियोजन कथा अनुसार घटना सुबह 07:30 बजे की है। आहत प्रवीण आम के पेड़ के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था तभी अभियुक्त सहादेव ने उसे आम खाने की बात पर से पत्थर से मारा। फरियादी मुनिताबाई (अ.सा.-1) ने अभियोजन के अनुरूप ही न्यायालय में कथन किये हैं। घटना दिनांक 31.05.2014 की सुबह 07:30 बजे की है। घटना की रिपोर्ट घटना के तत्काल पश्चात सुबह 08:50 बजे की गयी है। मौके से थाने की दूरी 10 किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में जहां फरियादी के द्वारा घटना के तत्काल पश्चात रिपोर्ट लेख करायी गयी वहां पर अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किये जाने की संभावना प्रकट नहीं होती है। साक्षी रामनाथ उइके (अ.सा.-2) एवं अमरलाल (अ.सा.-5) के कथनों से आहत प्रवीण को पत्थर से चोट आने के तथ्य का समर्थन हो रहा है। फरियादी मुनिता (अ.सा.-1) के द्वारा बिना विलंब किये रिपोर्ट लेख करायी गयी है। आहत प्रवीण को आयी चोट चिकित्सकीय साक्षी की साक्ष्य से संपुष्ट है। आहत प्रवीण के सिर पर पत्थर से चोट लगना, तत्काल पश्चात उसके साथ खेल रहे दो अन्य बच्चों के द्वारा उसे उसकी मां मुनिताबाई के पास ले जाया जाना, साक्षी अमरलाल और रामनाथ उइके के द्वारा भी आहत प्रवीण के सिर पर चोट देखा जाना, फरियादी मुनिताबाई के द्वारा अभियुक्त को आंगनबाड़ी के पीछे छिपते हुए देखा जाना, स्वयं बचाव साक्षी के द्वारा यह कथन किया जाना कि घटना दिनांक को तीन बच्चे उसके खेत पर आम के पेड़ के नीचे आये थे, घटना के तत्काल पश्चात फरियादी के द्वारा रिपोर्ट लेख करायी जाना, उक्त समस्त परिस्थितियां यह इंगित करती है कि अभियुक्त के द्वारा ही आहत प्रवीण को पत्थर से मारकर चोट पहुंचाई गयी। अतः अभियुक्त के द्वारा आहत प्रवीण को पत्थर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित

पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

20 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी मुनिता और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत प्रवीण को पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त सहादेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

21 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

22 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। साथ ही बचाव अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त मजदूरी पेशा व्यक्ति है। अतः उसकी आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम अर्थदंड से दंडित किया जावे। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

23 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा आहत के साथ पत्थर से मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके

संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

24 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी पूर्व से परिचित हैं एवं घटना में आहत को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त की आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त सहादेव को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 600/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

25 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत प्रवीण की मां फरियादी मुनिताबाई पति भदू कुमरे, निवासी लाखापुर, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

26 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)